ओ३म्

GURUKULA KANGRI (Deemed to be University), HARIDWAR

(NAAC Accredited Deemed to be University U/S 3 of UGC Act 1956)

गुरुकुल काङ्गड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत नैक मूल्यांकित समविश्वविद्यालय)

Application for Re-evaluation

पुनर्मूल्याँकन हेतु आवेदन पत्र

1. Roll No./ अनुक्रमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Enrolment No./ पंजीकरण संख्या ☐☐☐☐☐☐
2. Name of Student.....
   छात्र/छात्रा का नाम.....
3. Father's Name.....
   पिता का नाम.....
4. Class..... (Year/sem.)..... (Subject/Branch).....
   कक्षा..... (वर्ष/सेमे0)..... विषय/शाखा.....
5. Subject/Papers to be Re-evaluated पुनर्मूल्यांकन हेतु विषय/प्रश्न पत्र

Sub. Code विषय कोड	Subject/Paper विषय/प्रश्नपत्र	Marks obtained/Max. Marks प्राप्तांक/पूर्णांक
(A)	.....	.....
(B)	.....	.....
(C)	.....	.....
(D)	.....	.....
(E)	.....	.....
(F)	.....	.....

(Attach the photocopy of marksheet अंकपत्र की फोटो प्रति संलग्न करें)

I appeared in the month .....20.... examination of the above Subject(s) Paper(s). I want to Re-evaluate above subject(s)/paper(s). I have deposited the requisite fee Rs. ..... (Receipt) No ..... Dated..... The result declared after Re-Evaluation as per rules printed on the back side of this application form would be acceptable to me.

उपरोक्त विषय/प्रश्नपत्र में मैंने ..... माह 20.....में परीक्षा दी थी। मैं इन विषयों/प्रश्नपत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता हूँ / चाहती हूँ। मैंने इसका शुल्क ₹ ..... (रसीद संख्या..... दिनांक..... .....को) जमा करा दिया है। इस आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग में उल्लेखित नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन का परिणाम मुझे मान्य होगा।

Date/ दिनांक: .....

Signature हस्ताक्षर .....

Name नाम .....

Full Address पूरा पता .....

.....

Mobile No. मोबाइल नं. .....

37. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में–

a. पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रारुप पर एवं निर्धारित पुनर्मूल्यांकन शुल्क जमा करने के साथ आवेदन करना आवश्यक है।

b. जिन परीक्षार्थियों ने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने हेतु आवेदन किया है वे परीक्षार्थी अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकायें देखने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर अपनी उन्हीं उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं।

c. पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं आवेदन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर होंगे किसी अन्य के नहीं।

d. परीक्षार्थी केवल दी गयी परीक्षा में 1/3 (एक तिमाही) प्रश्न पत्रों में ही पुनर्मूल्यांकन करा सकता है।

e. प्रयोगात्मक/शोध/प्रोजेक्ट/सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा एवं पुनः परीक्षा व वाक आउट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।

f. पुनर्मूल्यांकन का निर्णय अंकों में परिवर्तन नहीं (No Change), अंकों में बढ़त (Increase), अंकों में घटत (Decrease), होगा।

g. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् मूल अंकों में ±5% तक प्राप्तांक में बदलाव होता है तो मूल अंक (पुराने प्राप्तांक) पूर्ववत् रहेंगे।

h. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांक 100% हो जाते हैं। इस परिस्थिति में यदि परीक्षार्थी के अंकों में 5% या इससे कम बढ़ोतरी है तो बढ़त मान्य होगी। उदाहरणार्थ– परीक्षार्थी के मूल अंक48/50 है पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् के पश्चात् 50/50 अंक आने पर 4% अंक बढ़ोतरी पश्चात् भी बढ़े अंक ही मान्य होंगे।

i. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि किसी परीक्षार्थी के प्राप्तांको को समायोजित करने पर उसका परीक्षा परिणाम (यथा– अनुत्तीर्ण से पुनः परीक्षा, अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण, पुनः परीक्षा से उत्तीर्ण, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी) बदलता है और पुनर्मूल्यांकन पश्चात् अंकों में बढ़ोतरी 5% या इससे कम है तो बढ़त मान्य होगी।

j. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंकों में अन्तर ±5% से अधिक किन्तु ±15% तक है तो पुनर्मूल्यांकन के प्राप्तांक मान्य होंगे।

k. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांक व मूल अंकों में अन्तर ±15% से अधिक है उस परिस्थिति में पुनः किसी अन्य परीक्षक द्वारा उक्त पुस्तिका का पुनर्मल्यांकन कराया जायेगा, तत्पश्चात् प्रथम पुनर्मूल्यांकन व द्वितीय पुनर्मूल्यांकन (अन्तिम दो मूल्यांकन) के प्राप्तांको के औसत अंक विद्यार्थी को प्रदान किये जायेंगे।

l. अंकों में परिवर्तन के पश्चात् पूर्व में निर्गत अंकपत्र संकाय कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी को संशोधित अंक पत्र जारी किया जायेगा।

m. पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षाफल में संशोधन विद्यार्थी को मान्य होगा।

n. पुनर्मूल्यांकन के समय पूर्व परीक्षक से सम्बन्धित पहचान व पूर्व प्राप्तांक प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे।

o. पुनर्मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षकों द्वारा ही कराया जायेगा।

p. किसी परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के पश्चात् पुनर्मूल्यांकन हेतु उसी परीक्षक को नहीं बुलाया जायेगा।

q. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि परीक्षा नियंत्रक की स्वीकृति से घटायी या बढ़ायी जा सकती है, जिसकी सूचना समय पर जारी कर दी जायेगी।

r. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन का शुल्क किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।